संलग्नक - "ख"

(15)

उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग–2
संख्या– 302/36–2–2010–10/2010
लखनऊःदिनांक 26 मार्च, 2010

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 एवं उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन)नियमावली,2009 के नियम 275 और 276 के अंतर्गत भवन एवं सन्निर्माण के लाभार्थी स्वरूप पंजीयन की व्यवस्था को प्रदेश में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा–12 (2) एवं नियमावली के नियम 276(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा कालम–2 में उल्लिखित विभागों, निगमों, प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों में कालम–3 में उल्लिखित उनके नियंत्रणाधीन अधिकारियों को कालम 4 में उल्लिखित उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत, लाभार्थियों के रूप में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण करने हेतु स्तम्भ–5 में प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है:–

क्रमांक	विभाग/स्थानीय निगम	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार	प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी
1	2	3	4	5
1	लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/जल निगम/जल संस्थान	जिला स्तर पर तैनात समस्त अवर/सहायक अभियंता	अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत	प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी
2.	नगर निगम	समस्त अपर/उप नगर आयुक्त एवं उनके नियंत्रणाधीन अभियंत्रण विभाग के अवर/सहायक अभियंता	–तदैव–	–तदैव–
3.	नगर पालिका/टाउन	अधिशासी अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–
4.	विकास प्राधिकरण	समस्त अवर/सहायक अभियंता	–तदैव–	–तदैव–
5.	आवास विकास परिषद	समस्त अवर/सहायक अभियंता	–तदैव–	–तदैव–
6.	जिला परिषद	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–

उपरोक्त प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी नियमावली के नियम–276 [illegible] नियम–277 [illegible] प्रणाली अनुपालन शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करते हुये उनके अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उनके अथवा उनके नियंत्रणाधीन संविदाकारों के माध्यम से नियोजित भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों का लाभार्थी स्वरूप पंजीयन सुनिश्चित [illegible] एवं प्रगति से नियमित रूप से क्षेत्रीय श्रम कार्यालयों के माध्यम से बोर्ड को निर्धारित प्रारूप पर मासिक सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। श्रम विभाग के स्थानीय अपर/उप/सहायक

श्रमायुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रस्तर–3 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा सम्पर्क करने पर यथावॉछित विवरण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(डा0 आर0 सी0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव/प्रशासक,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

संख्या– 302(1) /36–2–2010–10/2010,तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष -- द्वारा श्रमायुक्त
(2) श्रमायुक्त,उ0प्र0कानपुर।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा–श्रमायुक्त

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
अनु सचिव ।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश जी0टी0 रोड, कानपुर

पत्र सं0– 1013-1137 /सं0अनु0–10 दिनांक 30 मार्च 2010

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।
5– समस्त अपर/ उप श्रमायुक्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने क्षेत्रान्तर्गत जिलों में तैनात सभी प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारियों को भी उपर्युक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एस0 पी0 शुक्ला)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner